भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2914

मंगलवार, 10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्ट-अपों को वित्तीय सहायता

2914. थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप की संख्या के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आँकड़े रखती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार महिला द्वारा नेतृत्व वाले स्टार्टअप का डेटा संकलित करती है और यदि हाँ, तो ऐसे स्टार्टअप का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत और संख्या कितनी है;

(ग) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित या सह-संस्थापित स्टार्टअप के आंकड़े रखे जाते हैं और यदि हाँ, तो श्रेणी और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विशेष रूप से महिला, ओबीसी, एससी और एसटी संस्थापकों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई लक्षित योजनाएं, प्रोत्साहन या हैंडहोल्डिंग उपाय तैयार किए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं और उपकरणों के अंतर्गत स्टार्टअप को दी गई सरकारी निधि और वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार कुल 2,12,283 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 31 जनवरी, 2026 तक डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): 31 जनवरी, 2026 तक, स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कुल कंपनियों में से 1,02,054 कंपनियों (अर्थात् लगभग 48%) में कम से कम एक महिला

निदेशक/साझेदार हैं। स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त, कम से कम एक महिला निदेशक/साझेदार वाली कंपनियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत रखा जाने वाला डाटा समावेशी है। सरकार ने देशभर में महिलाओं और वंचित समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय/स्कीमें लागू की हैं। ऐसी पहलों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ङ): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) ताकि स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सभी क्षेत्रों के लिए फंडिंग के अवसर और सहायता प्रदान की जा सके।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया है और यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करता है, जो आगे इक्विटी और इक्विटी-संबद्ध साधनों के जरिए स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान, इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में किए गए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

एसआईएसएफएस इन्क्यूबेटर्स के माध्यम से आरंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को अनुदान, परिवर्तनीय डिबेंचर्स या ऋण या ऋण-संबद्ध साधनों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान इस स्कीम के तहत इन्क्यूबेटर्स द्वारा स्टार्टअप्स को अनुमोदित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-V** में दिया गया है।

सीजीएसएस को, ऋण साधनों के संबंध में एक निर्धारित सीमा तक गारंटी प्रदान करके पात्र वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्टार्टअप्स को ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीजीएसएस राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा संचालित है और 1

अप्रैल, 2023 से प्रचालन में है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान इस स्कीम के तहत, स्टार्टअप उधारकर्ताओं को गारंटी प्रदान की गई ऋण-राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2914 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2026 तक डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	93
आंध्र प्रदेश	4004
अरुणाचल प्रदेश	88
असम	2063
बिहार	4745
चंडीगढ़	670
छत्तीसगढ़	2302
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	90
दिल्ली	20287
गोवा	783
गुजरात	18195
हरियाणा	11004
हिमाचल प्रदेश	782
जम्मू और कश्मीर	1446
झारखंड	1996
कर्नाटक	21601
केरल	8267
लद्दाख	25
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	7071
महाराष्ट्र	36782
मणिपुर	258
मेघालय	91
मिजोरम	64
नागालैंड	115
ओडिशा	3678
पुदुच्चेरी	225
पंजाब	2368
राजस्थान	7698
सिक्किम	18

तमिलनाडु	14099
तेलंगाना	11743
त्रिपुरा	200
उत्तर प्रदेश	20734
उत्तराखंड	1743
पश्चिम बंगाल	6952
कुल	**212283**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2914 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी, 2026 तक स्टार्टअप के रूप में मान्यताप्राप्त कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार वाली कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशत निम्नानुसार हैं:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त उन कंपनियों की संख्या जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक/ भागीदार है**	**स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त उन कंपनियों का अनुमानित प्रतिशत जिनमें कम से कम एक-महिला निदेशक/भागीदार है (स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कुल कंपनियों में से)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	40	43%
आंध्र प्रदेश	1962	49%
अरुणाचल प्रदेश	38	43%
असम	902	44%
बिहार	2153	45%
चंडीगढ़	314	47%
छत्तीसगढ़	990	43%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	47	52%
दिल्ली	9948	49%
गोवा	371	47%
गुजरात	7775	43%
हरियाणा	5419	49%
हिमाचल प्रदेश	346	44%
जम्मू और कश्मीर	525	36%
झारखंड	922	46%
कर्नाटक	10249	47%
केरल	3363	41%
लद्दाख	8	32%
लक्षद्वीप	1	33%
मध्य प्रदेश	3368	48%
महाराष्ट्र	18376	50%
मणिपुर	119	46%
मेघालय	45	49%

मिजोरम	23	36%
नागालैंड	62	54%
ओडिशा	1836	50%
पुदुच्चेरी	103	46%
पंजाब	1186	50%
राजस्थान	3664	48%
सिक्किम	7	39%
तमिलनाडु	7042	50%
तेलंगाना	5922	50%
त्रिपुरा	81	41%
उत्तर प्रदेश	10473	51%
उत्तराखंड	822	47%
पश्चिम बंगाल	3552	51%
कुल	**1,02,054**	**48%**

*****

अनुबंध-III

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2914 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न वंचित वर्गों और महिलाओं के मध्य उद्यमिता को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न उपायों/स्कीमों का विवरण निम्नानुसार है:

I. वंचित समुदायों के मध्य उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रमुख उपाय:

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) स्कीम कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों की क्षमता में वृद्धि करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के मध्य उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्कीम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी को सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में भाग लेने और मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमों से खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सशक्त बना रही है। यह स्कीम पूरे देश में लागू की जा रही है।

   स्कीम की शुरुआत के बाद से, एनएसएसएच के तहत पूंजीगत सब्सिडी, क्षमता निर्माण, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के बाजार लिंकेज के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श के माध्यम से विभिन्न उपाय/उप-स्कीमें शुरू की गई हैं। इनमें विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस), एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस), बैंक ऋण प्रोसेसिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति, निष्पादन बैंक गारंटी पर बैंक प्रभारों की प्रतिपूर्ति, परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निर्यात संवर्धन परिषद के वार्षिक सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति, सरकार द्वारा प्रवर्तित ई-कॉमर्स पोर्टलों की वार्षिक सदस्यता/सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति, और शीर्ष 50 एनआईआरएफ रैंक के प्रबंधन संस्थान की अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीम आदि शामिल हैं।

2. अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय (एमओएमए), प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) स्कीम कार्यान्वित करता है, जिसमें पूर्ववर्ती पांच कौशल स्कीमें शामिल हैं। यह स्कीम कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमिता और नेतृत्व तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षा में सहायता प्रदाने करने के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित है।

3. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय और क्रेडिट लिंकेज, बाजार तक पहुंच और उद्योग से जुड़ाव जैसे मुख्य उपायों के माध्यम से प्रतिभागियों की क्षमताओं को मजबूत किया है। एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के कौशल और उद्यमिता घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए कार्यान्वित है। इसके अलावा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम का उद्देश्य, रूफटॉप सोलर को अपनाने पर जोर देना, उद्यमियों को सशक्त बनाना और स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करना है, तथा आईआईई, पूर्वोत्तर क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में उद्यमिता विकास केंद्र (ईडीसी) और इनक्यूबेशन केंद्र (आईसी) की स्थापना, विकास और प्रबंधन करना है।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) के तहत, अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-एससी) और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी) स्कीमें तैयार की गई हैं, ताकि इन समुदायों की महिला उद्यमियों सहित अनुसूचित जातियों (एससी) और पिछड़े वर्गों के मध्य उद्यमशीलता की दिशा में सहायता प्रदान की जा सके। इन स्कीमों का कार्यान्वयन, कार्यान्वयन एजेंसी/निधि प्रबंधक आईएफसीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है।

   मंत्रालय ने वीसीएफ-एससी के तहत अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एसीआईआईएम) भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटरों के माध्यम से इन्क्यूबेशन, परामर्श और इक्विटी सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के युवाओं के मध्य नवप्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि नवीन विचारों को व्यवहार्य उद्यमों में बदलने में मदद मिल सके।

   आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने ऑनलाइन मेंटरशिप कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें उद्योगजगत के विशेषज्ञ, मेंटरशिप पोर्टल यानी aye-mentor.in के माध्यम से अनुसूचित जाति के उद्यमियों को सहायता प्रदान करते हैं। यह पोर्टल, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित देशभर में संचालित है।

5. वित्तीय सेवा विभाग के तहत, स्टैंड-अप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई) 05 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई थी और मार्च, 2025 तक वैध/चालू थी। इस स्कीम का उद्देश्य, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से, प्रति बैंक शाखा अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के एक उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को कृषि से संबद्ध

कार्यकलापों सहित विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के मध्य के मूल्य का कम से कम एक ऋण उपलब्ध कराना है।

6. जमीनी स्तर पर नवप्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए और उद्यमियों द्वारा देशभर में स्टार्टअप्स की स्थापना करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, फ्लैगशिप फंडिंग स्कीमें, (एफएफएस, एसआईएसएफएस और सीजीएसएस), राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नवप्रयोग सप्ताह और स्टार्टअप महाकुंभ जैसे कार्यक्रम और विभिन्न जिला आउटरीच कार्यक्रमों सहित मेंटरशिप, ज्ञान और संसाधनों को साझा करना, मार्केट लिंकेट में सहायता, इन्वेस्टर कनेक्ट आदि के माध्यम से स्टार्टअप्स का सहयोग करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यकलाप किए जाते हैं।

II. महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के प्रमुख उपाय

1. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) की प्रमुख स्कीमों के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

2. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग), वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्टार्टअप लर्निंग प्रोग्राम, महिला उद्यमी विकास कार्यक्रम जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रम, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्टअप यात्रा में सहायता करते हैं।
3. आउटरीच और जागरूकता उपायों में स्टार्टअप इंडिया हब पोर्टल पर एक समर्पित वेबपेज शामिल है, जिसमें सरकारी उपायों का विवरण दिया गया है, एसेंड स्टार्टअप वर्कशॉप सीरीज और स्टार्टअप्स के लिए महिलाएं वर्कशॉप, सुपरस्त्री पॉडकास्ट, स्टार्टअप्स के लिए महिलाएं: राज्य कार्यशालाएं, महिला उद्यमियों को निवेशकों से जोड़ने के लिए मंच और देशभर में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यमियों तक पहुंचने के लिए प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सूचना का प्रसार शामिल है।

4. महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यमियों को, विभिन्न उपायों और पहलों के माध्यम से भी उनकी प्रगति और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। इनमें भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ महिला उद्यमियों की बातचीत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए सहायता को प्रोत्साहित करने हेतु राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग प्रक्रिया में विशिष्ट प्रावधान और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष श्रेणी आदि शामिल है।

5. अनुबंध के भाग I में विस्तृत उपरोक्त उपायों और उपायों के अलावा, अन्य मंत्रालयों और विभागों ने भी महिला उद्यमिता और क्षमता निर्माण की दिशा में सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों और पहलों को कार्यान्वित किया है। एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से स्वावलंबिनी- एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, छात्राओं के मध्य उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है। इसके अलावा, स्वावलंबिनी का उद्देश्य, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच की 'अवॉर्ड टु रिवॉर्ड' पहल के सहयोग से उभरने वाली सफल महिला उद्यमियों की पहचान करना और उन्हें पुरस्कृत करना है। एमओएमए की पीएम विकास स्कीम के तहत महिला नेतृत्व और उद्यमिता घटक का उद्देश्य, नेतृत्व और बुनियादी उद्यमिता में प्रशिक्षित अल्पसंख्यक महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है। इसके अलावा, इन प्रशिक्षित महिला उद्यमियों में से आकांक्षी महिला उद्यमियों का चयन भी किया जाएगा, ताकि वे बिजनेस मेंटर (स्कीम के अंतर्गत इन्हें 'बिज सखी/उद्यमी मित्र' के रूप में जाना जाएगा।) बन सकें और इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत या समूह उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा दे सकें।

*****

अनुबंध-IV

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2914 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025
आंध्र प्रदेश	0.0	0.0	11.3	24.4	0.0
अरुणाचल प्रदेश	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0
असम	14.4	9.3	1.5	13.0	0.1
बिहार	18.5	9.5	58.0	0.0	52.4
चंडीगढ़	0.0	0.4	11.0	0.2	9.7
छत्तीसगढ़	0.0	0.0	4.2	50.0	12.0
दिल्ली	610.3	998.9	500.0	327.8	808.0
गोवा	0.0	0.0	123.9	0.0	0.0
गुजरात	47.0	299.8	198.2	141.0	94.9
हरियाणा	275.7	502.7	314.5	501.8	148.8
जम्मू और कश्मीर	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
झारखंड	0.0	0.0	0.0	7.2	24.0
कर्नाटक	927.5	1957.9	880.3	1112.9	1340.0
केरल	121.7	7.1	52.5	47.0	121.5
मध्य प्रदेश	61.2	60.3	4.4	0.0	7.3
महाराष्ट्र	952.8	1520.8	710.9	818.6	972.6
मणिपुर	1.3	5.0	0.0	0.0	0.0
मेघालय	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
नागालैंड	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
ओडिशा	2.5	0.0	8.0	3.0	51.5
पुदुच्चेरी	0.0	0.0	0.8	0.0	5.0
पंजाब	12.3	0.0	0.1	60.5	0.0
राजस्थान	80.8	5.1	92.0	87.4	69.3
तमिलनाडु	161.3	344.4	122.7	300.5	144.8
तेलंगाना	69.5	112.8	169.3	70.6	150.9

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025
त्रिपुरा	0.2	0.1	0.0	0.8	0.0
उत्तर प्रदेश	105.1	124.4	18.8	184.1	245.0
उत्तराखंड	0.0	0.0	0.1	7.2	0.0
पश्चिम बंगाल	28.2	13.8	9.6	0.0	13.8
कुल	**3491.1**	**5973.4**	**3292.1**	**3809.2**	**4271.6**

*****

अनुबंध-V

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2914 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 के दौरान एसआईएसएफएस के तहत इन्क्यूबेटरों द्वारा स्टार्टअप्स को स्वीकृत निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	0.040	-	-
आंध्र प्रदेश	-	1.430	4.380	3.365	3.030
अरुणाचल प्रदेश	-	0.200	-	-	0.100
असम	0.400	1.670	1.921	1.330	1.309
बिहार	0.100	1.810	4.780	1.530	0.555
चंडीगढ़	-	0.450	2.200	0.200	0.040
छत्तीसगढ़	0.100	0.320	0.860	0.795	0.591
दिल्ली	2.540	5.805	13.135	12.670	7.835
गोवा	0.700	0.850	0.380	0.780	0.570
गुजरात	1.500	7.835	14.911	10.940	6.895
हरियाणा	0.330	4.725	7.535	8.375	7.090
हिमाचल प्रदेश	0.100	0.250	1.890	0.700	0.440
जम्मू और कश्मीर	-	0.100	0.330	1.420	0.800
झारखंड	0.650	0.300	0.550	1.525	0.670
कर्नाटक	6.490	23.320	23.948	20.312	16.360
केरल	0.726	3.780	3.030	2.670	3.600
मध्य प्रदेश	0.500	6.543	4.210	5.978	3.654
महाराष्ट्र	3.950	17.780	37.565	27.870	17.815
मणिपुर	-	0.250	0.050	-	0.000
मेघालय	-	0.200	-	0.040	0.100
मिजोरम	-	-	0.400	0.750	
नागालैंड	-	0.250	1.140	2.580	1.000
ओडिशा	0.100	2.300	4.682	4.369	3.615
पुद्दुचेरी	-	0.766	0.200	-	-
पंजाब	-	0.220	2.796	4.020	1.450

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024	2025
राजस्थान	0.705	3.685	7.480	6.555	3.415
सिक्किम	-	0.200	-	-	-
तमिलनाडु	3.425	8.291	13.638	19.376	10.510
तेलंगाना	1.350	10.590	11.670	10.950	7.992
उत्तर प्रदेश	3.155	5.453	9.960	12.188	7.710
उत्तराखंड	-	1.250	0.750	1.630	1.150
पश्चिम बंगाल	0.765	1.160	1.550	2.915	1.744
कुल	**27.59**	**111.78**	**175.98**	**165.83**	**110.04**

*****

अनुबंध-VI

दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2914 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2023, 2024 और 2025 के दौरान सीजीएसएस के तहत स्टार्टअप उधारकर्ताओं को गारंटीकृत ऋण की राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2023**	**2024**	**2025**
आंध्र प्रदेश	0.00	1.50	0.00
असम	0.00	2.52	11.45
बिहार	0.00	0.28	0.00
चंडीगढ़	0.00	0.15	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.65
दिल्ली	35.65	25.96	3.80
गुजरात	6.50	3.00	30.27
हरियाणा	27.25	58.17	37.27
जम्मू और कश्मीर	0.00	2.00	5.00
कर्नाटक	30.16	37.18	29.18
केरल	4.50	24.50	3.00
मध्य प्रदेश	8.80	1.00	1.00
महाराष्ट्र	59.75	64.99	45.53
ओडिशा	0.00	0.00	4.50
राजस्थान	3.50	15.00	0.00
तमिलनाडु	8.65	62.00	13.95
तेलंगाना	5.60	14.87	2.00
उत्तर प्रदेश	24.42	27.21	13.73
उत्तराखंड	0.00	10.00	0.00
पश्चिम बंगाल	6.00	30.75	5.00
कुल	**220.78**	**381.08**	**206.33**

*****